[illegible] दौसा [illegible] आलोट

तारीख हुक्म	कमलावती पत्नी रतन लाल गोयल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अवमानना प्रार्थना-24/2017	नम्बर अहकाम हुक्म में
15-6-18	कमलावती रतनलाल गोयल अदालत सैशन कोर्ट आलोट में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 रतन लाल गोयल तहसीलदार दौसा ~~[illegible]~~ मूलचन्द पालीवाल के द्वारा अवमानना करने का कोई पक्का व मजबूत प्रार्थीगण के द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने अवमानना प्रार्थना-पत्र की पुष्टि में कोई रिकार्ड मजबूत पेश नहीं करने के कारण प्रार्थीगण का अवमानना-प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नस्ती की जावे। यथावत तामील पुलिस लेकर अग्रसारित। सम्मानीय राजस्व लोक अदालत कोटा कोर्ट आलोट के समक्ष आज दिनांक [illegible] किया जाकर सुनाया गया। सहायक कलक्टर दौसा	